

10⁵/₁₈ पत्रावली आज कौच कोर्ट सीफल में फेश
डर्म) ~~संयोजित~~ ^{उत्तर} में वाड पत्र का निर्णय
दिए जा चुका है) जा. पत्र अ. धारा 212 का
गोपी रक्षा कोई उचित नहीं है) अल! जा.
पत्र अ. धा. 212 को इसी तरह पर खारिज
दिया जाता है) पत्रावली केवल अकार होकर
नम्बर में कर हो तथा दाखिल ~~हो~~

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (मुमुमु)